झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या–06/06–ज०वि०प्र० (नीतिगत)–01/2017–खा०आ० –777, दिनांक 07.03.2019 के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 अधिसूचित किया गया है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–खा०प्र०–01/ज०वि०प्र०/रा०का०/13–03/2020–160, दिनांक 20.01.2021 की कंडिका–4 एवं 14 द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के क्रमशः कंडिका–2 (xiii) एवं 10 (xiv) में संशोधन किया गया था जिसे विलोपित किया जाता है।

3. तदनुसार झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–2(xiii) निम्नवत् रहेंगी :–

2 (xiii) **'अनुज्ञापन पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये पदाधिकारी, जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) अथवा इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–10 (xiv) निम्नवत् रहेंगी :–

10.(xiv)विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्तियों हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र निम्नवत् होंगे :–

क्र० सं०	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञापन पदाधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	उचित मूल्य की दुकान	संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/इन पदों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी।	जिला/क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाना है।
2	किरासन तेल थोक विक्रेता	उपायुक्त	जिला, जिसके अन्तर्गत विक्रेता की नियुक्ति की जानी है।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–खा०प्र०–01/ज०वि०प्र०/रा०का०/13–03/2020–160, दिनांक 20.01.2021 की अन्य कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

6. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

3.8.21

(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–खा०प्र०–01/ज०वि०प्र०/रा०का०/13–03/2020–1939/राँची, दिनांक–03/08/21

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किया जाय।

3.8.21

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र०–01/ज०वि०प्र०/रा०का०/13–03/2020–1939/राँची, दिनांक–03/08/21

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशाल, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/ विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.21

सरकार के अपर सचिव।